

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1459

दिनांक: 06.02.2026

आदेश

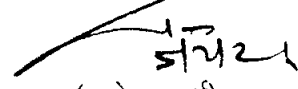
सां.आ. 156/2026 - नगरपालिका के ऐसे निर्वाचनों, जहाँ मत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46-क के उप नियम (7) में यह प्रावधान है कि उक्त नियम 46-क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र के संबंध में, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 46-क के उप नियम (7) के उपबन्धों के अनुसरण में, पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4166/21.10.2019 (सां. आं 120/2019) को अधिक्रमित करते हुए, सदस्य पदों के निर्वाचनों हेतु डाक मतपत्रों के जरिए मत अभिलिखित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है :-

1. नियम 46क के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यर्थी अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यर्थी के नाम अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के सामने बालपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से "X" (क्रॉस) अथवा "✓" (राइट टिक) का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प को दिया गया है।
2. एक से अधिक अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी या नोटा (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा।
3. मत रिकार्ड करने के लिये "X" (क्रॉस) अथवा "✓" (राइट टिक) चिन्ह से भिन्न अन्य कोई चिन्ह या संकेत या शब्द या लेख या हस्ताक्षर डाक मतपत्र पर अंकित नहीं किया जायेगा।
4. डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् डाक मतपत्र को "क" चिह्नित छोटे लिफाफे (प्ररूप-16-ख) में मतदाता द्वारा रखा जायेगा और लिफाफा बंद कर दिया जायेगा और उसे मुदा लगाकर या अन्यथा सुरक्षित किया जायेगा।
5. "क" चिह्नित लिफाफे में डाक मतपत्र को सुरक्षित कर देने के पश्चात् प्ररूप 16-क में घोषणा पर मतदाता किसी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी, जिसमें वह मतदाता निर्वाचन कर्तव्यरूढ़ है, की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और ऐसे अधिकारी से हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करायेगा। उक्त अनुप्रमाणन करने वाला अधिकारी मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान होने पर मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करेगा।
6. ऊपर वर्णित अनुप्रमाणन अधिकारी को डाक मतपत्र न तो दिखाया जायेगा और न यह बताया जायेगा कि किसके पक्ष में मतदान किया गया है।

7. मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन होने के पश्चात् प्ररूप 16-क में घोषणा और साथ में "क" चिह्नित प्ररूप 16-ख में छोटा लिफाफा जिसमें डाक मतपत्र सुरक्षित रखा गया है, को "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे (प्ररूप 16-ग) में बंद कर दिया जायेगा। "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे पर निर्दिष्ट स्थान पर मतदाता द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किये जायेंगे।
8. ऊपर वर्णित रीति से "ख" चिह्नित बड़ा लिफाफा बन्द करने के पश्चात् इसे संबंधित निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी को या तो डाक द्वारा, या संदेशवाहक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार दे दिया जायेगा ताकि यह उक्त निर्वाचन में मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाये।
9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को जारी किए गए डाक मतपत्र के प्रतिपण पर मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट उस मतदाता की क्रम संख्या तथा मतदाता सूची की भाग संख्या अभिलिखित कर देनी चाहिये। मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये लिख दें कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया गया है, किन्तु उसमें उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित न की जावे। रिटर्निंग अधिकारी को, जारी किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपणों को एक अलग पैकेट में मुहरबन्द कर पैकेट पर उसमें रखी गयी सामग्री का संक्षिप्त विवरण और मुहरबन्द करने का दिनांक अंकित कर, अन्य मुहरबन्द निर्वाचन अभिलेख के साथ रखवा देना चाहिये।
10. रिटर्निंग अधिकारी एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें प्राप्त डाक मतपत्रों और उनके प्राप्त होने की दिनांक व समय का अंकन करेगा।

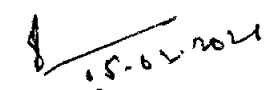
भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1460-1464
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 06.02.2026

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।


(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव